# छत्तीसगढ़ विधान सभा

## पत्रक भाग - एक

## संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा　　प्रथम सत्र　　अंक-13

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी, 2019

(माघ 30, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)**

### 1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 10 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 25 तारांकित एवं 36 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने-

(1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षा-नुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम,1994 की धारा-19 के अंतर्गत अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018,

(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018) एवं पालन प्रतिवेदन,

(3) छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का पंद्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17, तथा

(4) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018,

**पटल पर रखे।**

## 3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल (अनुपस्थित), शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर, सदस्य ने कोपलवाणी संस्थान में चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गनाईजेशन के घरोंदा में मानसिक रूप से कमजोर महिला का शारीरिक शोषण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

**(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए।)**

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)**

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने प्रदेश में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रविन्द्र चौबे कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

## 4. औचित्य प्रश्न पर व्यवस्था

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य ने ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि शासन के द्वारा जो उत्तर दिया गया है, उस सीमा के भीतर हम प्रतिप्रश्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ?

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि आपके ध्यानाकर्षण में जो वक्तव्य आया है, उसमें प्रतिप्रश्न करने का आपको अधिकार है। कार्यवाही आगे बढ़ चुकी है । मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को अग्राह्य करता हूं।

## 5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री सौरभ सिंह

(2) श्री केशव प्रसाद चंद्रा

(3) श्री गुलाब कमरो

(4) श्री देवव्रत सिंह

(5) श्री कुलदीप सिंह जुनेजा

## 6. वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर मतदान

श्री टी.एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-30, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-80, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित मांग संख्या-19, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-79, वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-7, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-31, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-50 प्रस्तुत की।

**मांग संख्या-30** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, रजनीश कुमार सिंह, सौरभ सिंह, डॉ. रेणु अजीत जोगी, सर्वश्री प्रमोद कुमार शर्मा, नारायण चंदेल, **मांग संख्या-80** पर श्री अजय चंद्राकर, **मांग संख्या-19** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, सौरभ सिंह, डॉ. रेणु अजीत जोगी, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सर्वश्री केशव प्रसाद चंद्रा, नारायण चंदेल, **मांग संख्या-79** पर श्री अजय चंद्राकर, **मांग संख्या-7** पर श्री अजय चंद्राकर, डॉ. रेणु अजीत जोगी, सर्वश्री प्रमोद कुमार शर्मा, केशव प्रसाद चंद्रा, **मांग संख्या-31 पर** डॉ. रेणु अजीत जोगी, सर्वश्री अजय चंद्राकर, नारायण चंदेल एवं **मांग संख्या-50** पर श्री अजय चंद्राकर, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री बृहस्पत सिंह,

**(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)**

सर्वश्री नारायण चंदेल, अमरजीत भगत,

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)**

श्री केशव प्रसाद चंद्रा, डॉ. रेणु अजीत जोगी, सर्वश्री रामकुमार यादव, पुन्नूलाल मोहले, विकास उपाध्याय, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती छन्नी चन्दू साहू, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य ने मंत्रियों की अनुपस्थिति के संबंध में आसंदी का ध्यानाकर्षित किया ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही 05 मिनट के लिए स्थगित की गई ।

(सभा में मंत्रियों की अनुपस्थिति के कारण सदन की कार्यवाही 3.41 बजे स्थगित की जाकर 3.47 बजे समवेत हुई ।)

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)**

श्री टी.एस.सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने खेद व्यक्त किया ।

## 7. वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

सर्वश्री रेखचन्द जैन, मोहन मरकाम, श्री धरमलाल कौशिक- नेता प्रतिपक्ष ।

श्री टी.एस.सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

**(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए।)**

सभापति महोदय ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 04 का कार्य पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की ।

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)**

**कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।**
**मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

## 8. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कल बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2019 को मायाराम सुरजन फाउण्डेशन द्वारा नेशनल फाउण्डेशन फॉर इंडिया, नई दिल्ली के सहयोग से पंचम छत्तीसगढ़ विधान सभा के माननीय सदस्यों के लिए अपराह्न 01.00 बजे से 02.45 बजे के मध्य विधान सभा सचिवालय परिसर स्थित डॉ.श्यामा प्रसाद मुकर्जी प्रेक्षागृह में स्वास्थ्य प्रथम विषय पर परामर्श कार्यक्रम आयोजित है । कल भोजन अवकाश दोपहर 01.00 बजे होगा । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि स्वास्थ्य प्रथम परामर्श कार्यक्रम में सम्मिलित होकर लाभान्वित होवें ।

**सायं 6.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2019 (फाल्गुन-1, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।**

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा